बिहार सरकार
<u>ऊर्जा विभाग</u>

पत्रांक–प्र0 / BSPGCL–02 / 2024– /पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः– **बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कं0 लि0 द्वारा कजरा (लखीसराय) में 116 मेगावाट (AC) सौर ऊर्जा (PV) क्षमता के साथ 241 MWh बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) विस्तार परियोजना के अधिष्ठापन हेतु कुल 1055.72 करोड़ (एक हजार पचपन करोड़ बहत्तर लाख) रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment for 2026-27 Under Part-1 के अंतर्गत विमुक्त की गयी राशि में से वित्तीय वर्ष 2026–27 में 462.00 करोड़ (चार सौ बासठ करोड़) रूपये बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

<u>आदेश–स्वीकृत।</u>

विभागीय राज्यादेश संख्या–713 दिनांक–13.02.2025 द्वारा बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कं0 लि0 द्वारा कजरा (लखीसराय) में 116 मेगावाट (AC) सौर ऊर्जा (PV) क्षमता के साथ 241 MWh बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) विस्तार परियोजना के अधिष्ठापन हेतु कुल 1055.72 करोड़ (एक हजार पचपन करोड़ बहत्तर लाख) रूपये की योजना की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत राशि का 80:20 वित्तीय पोषण के तहत् 80% अर्थात् 844.58 करोड़ (आठ सौ चौवालीस करोड़ अंठावन लाख) रूपये राज्य सरकार की गारंटी पर विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण स्वरूप प्राप्त करने की स्वीकृति एवं 20% अर्थात् 211.14 करोड़ (दो सौ ग्यारह करोड़ चौदह लाख) रूपये इक्विटी स्वरूप पूँजीगत निवेश के रूप में उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु अबतक 175.56 करोड़ रूपये बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराया गया है। पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त इस योजना के कार्यान्वयन हेतु बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कं0 लि0 द्वारा Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2026-27 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा विमुक्त की गयी राशि में से 462.00 करोड़ रूपये की मांग गयी है, जिसे उपलब्ध कराया जाना है।

2. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के द्वारा ऊर्जा प्रक्षेत्र के लिए Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment for 2026-27 Under Part-1 के अंतर्गत स्वीकृत राशि 1500.00 करोड़ रूपये में से प्रथम किश्त के रूप में 990.00 करोड़ रूपये विमुक्त किया गया है, जिसके अंतर्गत यह योजना भी सम्मिलित है।

3. उक्त आलोक में बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कं0 लि0 द्वारा कजरा (लखीसराय) में 116 मेगावाट (AC) सौर ऊर्जा (PV) क्षमता के साथ 241 MWh बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) विस्तार परियोजना के अधिष्ठापन हेतु कुल 1055.72 करोड़ (एक हजार पचपन करोड़

बहत्तर लाख) रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment for 2026-27 Under Part-1 के अंतर्गत विमुक्त की गयी राशि में से वित्तीय वर्ष 2026–27 में 462.00 करोड़ (चार सौ बासठ करोड़) रूपये बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. उक्त राशि माँग सं0–10, मुख्य शीर्ष 4810–नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, उपशीर्ष–0102–बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कं0 लि0 की परियोजना, विपत्र कोड–10–4810001900102 विषय शीर्ष 5401–निवेश के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. इस राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा CFMS के माध्यम से सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से वित्त विभाग के स्तर पर Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment for 2026-27 Under Part-1 के अन्तर्गत खोले गये SNA Account आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक, बोरिंग रोड, पटना के खाता सं0–040401016029 एवं IFSC Code-ICIC0000404 में हस्तांतरित की जायेगी।

6. उक्त राशि का व्यय Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2026-27 Under Part-1 में वर्णित दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

7. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–7355 दिनांक–05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद का अनुमोदन संचिका संख्या–प्र0/BSPGCL–02/2024 के पृष्ठ संख्या–23/टि0 पर दिनांक–04.02.2025 को प्राप्त है।

9. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–प्र0/BSPGCL–02/2024 के पृष्ठ संख्या–50/टि0 पर दिनांक–05.08.2026 को प्राप्त है।

10. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–

(सुधा गुप्ता)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र0/BSPGCL–02/2024– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–BSPGCL–02/2024– 4172 /पटना, दिनांक– 05.08.2026

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बजट शाखा/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कं0 लि0, पटना/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05.08.26

सरकार के संयुक्त सचिव।